राजस्व वाद संख्याः– 04/2014
भगवानराम वगै0 बनाम महावीर आदि
निर्णय दिनांकः– 12.11.2021.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

ठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

जस्व वाद सं.– 04/2014

1. "मृतक"–भगवाना पुत्र स्व0 किशनलाल जाति ब्राहमण निवासी पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

1/1 होशियार सिंह पुत्र स्व0 भगवानाराम

1/2 निरंजनलाल पुत्र स्व0 भगवानाराम

1/3 राकेश कुमार पुत्र स्व0 भगवानाराम

1/4 श्रीमति गोदावरी पत्नी स्व0 भगवानाराम

समस्त जाति ब्राहमण निवासी पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

2. छोटेलाल पुत्र स्व0 किशनलाल जाति ब्राहमण निवासी पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. हनुमान प्रसाद पुत्र स्व0 रामजीलाल,
4. भूराराम पुत्र स्व0 रामजीलाल,
5. ज्ञानप्रसाद पुत्र स्व0 रामजीलाल,
6. बिहारीलाल पुत्र स्व0 रामजीलाल,
7. महावीर प्रसाद पुत्र स्व0 रामजीलाल,
8. बजरंगलाल पुत्र स्व0 महादेव प्रसाद दत्तक पुत्र स्व0 खुबाराम
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
9. "मृतक"–बाबूलाल पुत्र स्व0 महादेव प्रसाद दत्तक पुत्र स्व0 खुबाराम जाति ब्राहमण निवासी पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

9/1 सुलोचना पत्नी स्व0 बाबुलाल जाति ब्राहमण निवासी पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

9/2 पूनम कुमारी पुत्री स्व0 बाबुलाल जाति ब्राहमण निवासी पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

9/3 मोहित कुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल नाबालिग जरिये वली कुदरती माता श्रीमती सुलोचना पत्नी स्व0 बाबुलाल जाति ब्राहमण निवासी पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

10. विश्वाराम पुत्र स्व0 लिछमणराम जाति ब्राहमण निवासी पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
11. सूरेश कुमार पुत्र स्व0 लिछमणराम जाति ब्राहमण निवासी पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
12. कैलाश चन्द पुत्र स्व0 लिछमणराम जाति ब्राहमण निवासी पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

– वादीगण

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः– 04/2014
भगवानराम वगै0 बनाम महावीर आदि
निर्णय दिनांकः– 12.11.2021.

बनाम

1. महावीर सिंह पुत्र स्व0 छतूसिंह
2. करण सिंह पुत्र स्व0 छतूसिंह
3. अमरसिंह पुत्र स्व0 छतूसिंह
4. विजयसिंह पुत्र स्व0 छतूसिंह
5. शेरसिंह पुत्र स्व0 छतूसिंह
6. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 छतूसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
7. "मृतक"–रतनकवंर पत्नी स्व0 मंगेजसिंह नाते की पत्नी स्व0 छतुसिंह जाति राजपूत निवासी पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
8. कमला पत्नी रमेश जाति नायक निवासी अडुका तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
9. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
10. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा डुलानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
11. उप पंजीयक अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

– प्रतिवादीगण

वादीगण की और से उपस्थित अधिवक्ताः–

श्री धर्मपाल सिंह एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से उपस्थित अधिवक्ताः–

श्री भवॅर सिंह परमार एडवोकेट

दावा बाबत घोषणार्थ, स्थायी निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

:: निर्णय ::

दिनांक – 12.11.2021

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री पारित किया जाकर घोषणा इस अमर की पारित की जावें की वादग्रस्त भूमि ख0न0 393 की 0.25 है0, ख0न0 394 की 1.30 है0 गत ख0न0 269/1 की 3 बीघा 13 बिश्वा गत ख0न0 270/1 की 1 बीघा पुखता जो करीब 12 बीघा खाम वादीगण की कय

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

शुदा व वादीगण की कब्जे काश्त की जिसके उत्तर में लोहारू–पिलानी सड़क, पूर्व में ग्रा पीपली की आबादी हाल खसरा न0 540 और दक्षिण में गत ख0न0 407/267 गैर मुमकिन कटानी रास्त, व पूर्व दक्षिण कोने में गत ख0न0 268 की 14 बिश्वा गैर मुमकिन कुआँ व गूण की भूमि के उत्तर पश्चिम की ओर की, उक्त वादीगण के शामील खातेदारी की, जिसमें वादीगण संख्या 1,2 का हक व हिस्सा 1/4 वादीगण सख्या 3 लगायत 7 का हक व हिस्सा 1/4 वादीगण संख्या 8,9 का हक व हिस्सा 1/4 तथा वादीगण संख्या 10,11,12 का हक व हिस्सा 1/4 की कुल 12 बीघा खाम वादीगण की शामिल खातेदारी की घोषित की जावें और वादीगण की उक्त वादग्रस्त आराजियात को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के खाते से वादीगण के अधिपत्य व अधिकार के अनुसार विधिवत सीमा ज्ञान करवा कर खाता विभाजन भी विधवत अलग किये जाने की डिकी भी पारित की जावें।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे की वे वादीगण को वादग्रस्त आराजियात के कब्जा–काश्त, उपभोग–उपयोग में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ना करे और ना ही अपने एजेंटो से ही ऐसा करावें, ना ही वादग्रस्त आराजियात किसी को रहन, वय ही करे और ना ही अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण ही करे, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी भी पारित की जावें और उक्त आशय के आदेश की डिकी से प्रतिवादी संख्या 10 उप पंजीयक सूरजगढ़ को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावें। यदि तादौरान मुकदमा प्रतिवादीगण सख्या 01 लगायत 07 वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बदखल कर देवें तो वादीगण का दखल वापसी भी विधिवत करवाया जावें।

(ग) यह कि खर्चा हर्जा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

(घ) यह कि अन्य सिद्वी बहक वादीगण हो और चाही जाने से रह गई हो, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 के अन्तर्गत वादीगण को दिलायी जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 01 लगायत 6 की ओर से श्री भँवर सिंह परमार एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजुद तामील उपस्थित नही आये, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उभयपक्षकारान के वकील ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल विभिन्न जमाबंदी, गिरदारी एव नक्शा ट्रेस जिन पर प्रर्दश संख्या अंकित किये गये।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । बहस में वादी वकील ने बताया की वह 2013 से 2021 की जमाबन्दी में उपकृषक दर्ज है तथा प्रतिवादी से जरिये इकरारनाम यह जमीन वादी द्वारा खरीदी गई । यह न्याय का सुस्थापित सिद्वान्त है कि राज0 काश्तकारी अधिनियम में प्रावर्धित प्रावधानों के अनुसार बेचान के इकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय किसी भी पक्षकार को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा जो इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है उसमें राशि के आदान–प्रदान का भी कोई वर्णन नहीं है, ना ही खसरा नम्बर अंकित है तथा प्रर्दश में लगान की रसीद भी चस्पा नहीं की गई है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एडवर्स प्रमिसिव पोजेशन होने की बात स्वीकार की है। परन्तु उनका दावा अआनुशगिंक हैं। क्योंकि कब्जा कितना ही लम्बा हो इसका यह तात्पर्य नही है कि यह खातेदार के प्रतिकूल है; कब्जा प्रतिकूल एवं विकृत होना चाहिए।

अतः अपना हक अधिकार सिद्व करने में प्रार्थी असफल रहा। बहस पर मनन किया गया । न्यायालय वाद वादीगण को खारिज किया जाना न्यायोचित पाता है एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 04/2014
भगवानराम वगै0 बनाम महावीर आदि
निर्णय दिनांकः– 12.11.2021.

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण खारिज किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत वादग्रस्त भूमि ख0न0 393 की 0.25 है0, ख0न0 394 की 1.30 है0 गत ख0न0 269/1 की 3 बीघा 13 बिश्वा गत ख0न0 270/1 की 1 बीघा पुखता जो करीब 12 बीघा खाम वाद वादीगण खारिज किया जाता है एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है।

निर्णय की सूचना उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावें।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावें।

(दिपाशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपाशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़